आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिषर, भोपाल

क्रमांक / वित्त / ए.बी. / 2019 / 120 भोपाल, दिनांक 24/07/2019

प्रति,

1. समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, म.प्र.
2. समस्त अधीक्षक, सिविल अस्पताल, म.प्र.
3. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, म.प्र.

विषयः— इन्सेन्टिव के वितरण हेतु इन्सेन्टिव प्रपत्र में डाटा भरने के संबंध में Standard Operating Procedures (SOP) **बावत।**

विषयांतर्गत लेख है पूर्व में चिकित्सालयों को एक्सल शीट द्वारा क्लेम पेड की सूची एवं इन्सेन्टिव गणना की एक्सल शीट प्रदान की गई थी। एस.एच.ए स्तर पर विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों से दुरभाष पर उक्त शीट के आधार पर वितरण करने में कठिनाई से अवगत कराया जा रहा है, विशेष कर जिला चिकित्सालय रायसेन के आर.एम.ओ डॉ. विनोद परमार द्वारा अवगत कराया गया। चिकित्सालयों की उक्त कठिनाई को देखते हुए वितरण की प्रकिया का सरलीकरण करने हेतु नवीन एक्सल शीट समस्त चिकित्सालयों को भेजी गई है। चिकित्सालयों को नवीन एक्सेल शीट के द्वारा क्लेम अनुसार इन्सेन्टिव की राशि एवं नवीन इन्सेन्टिव गणना शीट ई—मेल द्वारा प्रदान की गई।

अतः निम्नानुसार संशोधित Standard Operating Procedures (SOP) के अनुरूप कार्य करें।

- ईमेल के माध्यम से डाटा के साथ एक एक्सलसीट प्रेषित की गई है, जिस पर निम्नानुसार कार्य करते हुए इन्सेन्टिव का वितरण संबंधितों को किया जाना है:—

स्टेप—1 सर्वप्रथम क्लेम अनुसार इन्सेन्टिव की राशि वाली एक्सेल शीट में दिये गए पेड क्लेम को सर्जिकल एवं मेडिकल क्लेम के अनुसार विभाजित करना है।

स्टेप—2 क्लेम अनुसार इन्सेन्टिव राशि वाली भेजी गई एक्सेल शीट से केस आईडी, इन्सेन्टिव राशि (Incentive Amount) को कॉपी करते हुए उक्त डाटा को इन्सेन्टिव गणना एक्सलसीट प्रपत्र में कॉलमवार (Case No, Incentive Amount) Paste करना है।

स्टेप—3 इसके पश्चात् एक्सलसीट (इन्सेन्टिव प्रपत्र) के कॉलम F में मेडिको का नाम भरना है, नाम भरते ही कॉलम G में मेडिको की राशि रू. 20/— स्वतः ही दिखाई देने लगेगी।

स्टेप—4 इसके पश्चात् केस आईडी अनुसार सर्जन/Treating Doctors, Anesthetist / Assistant Medical Officer, Assistant Surgeon/ Medical Officer, Pethalogist and Radiologists, Lab Technician, OT एवं इन्डोर नर्सिंग स्टॉफ, अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कॉलम में किसी केस में कार्य किये गये संबंधितों के नाम कॉलमवार भरने होगें, नाम भरते ही इन्सेन्टिव राशि की गणना प्रतिशत अनुसार स्वतः ही हो जायेगी।

स्टेप—5 इस प्रकार प्रत्येक केस/क्लेम का इन्सेन्टिव वितरण प्रपत्र तैयार कर संबंधित कर्मचारी/अधिकारियों की एकजाई राशि को संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के बैंक खाते में सीधे जमा कराया जाये।

(राजकुमार त्रिपाठी)
वित्त अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.

R. K. TRIPATHI
Finance Officer
Ayushman Bharat Niramayam